न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 58 / 19

लिछमण उम्र 75 वर्ष पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी ढाणी कणिका,तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

ज्ञानाराम उम्र 68 वर्ष पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी ढाणी कणिका, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय
कमांक 5 दिनांक 8.02.2013 बअदालत तहसीलदार भू.अ. उदयपुरवाटी,
जिला झुंझुनू प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 बाबत विभाजन
आराजीयात मौजा ढाणी कणिका एवं गुढा गोड़जी

उपस्थितिः–

1 श्री विजयपाल, एडवोकेट ----- ------ -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संदीप काजला ,एडवोकेट---------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.07.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय कमांक 5 दिनांक 8.02.2013 बअदालत तहसीलदार भू.अ. उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 बाबत विभाजन आराजीयात मौजा ढाणी कणिका एवं गुढा गोड़जी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– प्रशासन गांवों के संग अभियान सन 2013 के दौरान अपीलांट व रेहस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत तहसीलदार भू0अ0 उदयपुरवाटी के समक्ष धारा 53 (2) (1) आरटी एक्ट 1955 के तहत जमीन हाल खसरा नंबर 1177, 1178, 1179, 1180, 1217, 1235 कुल किता 6 कुल तादादी 7.45 हैक्टर सरहद मौजा ढाणी [illegible], 869 कुल किता 2 कुल तादादी 3.67 हैक्टर सरहद मौजा गुढ[illegible] का अनुबंध पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

किया, जो अदालत मातहत ने आदेश क्रमांक 5 दिनांक 8.02.2013 के द्वारा विभाजन स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये। अपीलांट अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0 धारा धारा 53 (2) (1) आरटी एक्ट 1955 को भूमि अधिकारी की हैसियत से स्वीकार करने में गलती की है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक तथा अदालत मातहत ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 की पालना किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर तथ्य व विधि की भूल की है। अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के भौतिक कब्जे की जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच नहीं की गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा, खसरा नंबर इत्यादि से वाकिफ नहीं है। विभाजन प्रार्थना पत्र में परस्पर जो विभाजन का ब्यौरा उल्लेखित किया गया है वह पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से बिना भौतिक कब्जे की जांच किये दर्ज किया गया है। रास्ते के प्रावधान को नजरअंदाज कर अदालत मातहत ने परस्पर विभाजन को स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। जमीन खसरा नंबर 1180 सरहद मौजा ढाणी कणिका व जमीन खसरा नंबर 869 सरहद मौजा गुढा गोड़जी में क्रमशः 0.03 हैक्टर व 0.03 हैक्टर कुल 0.06 हैक्टर की किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय दर्ज कर दी गई, जब कि उक्त जमीन परस्पर विभाजन प्रार्थना पत्र में रास्ते के उपयोग के लिये छोड़ी गई थी। कुये तक रास्ता प्रस्तावित था, परन्तु रास्ते की किस्म रास्ता भी नहीं रखी गई व नक्शे में तरमीम करते वक्त उसे कम कर दिया गया। अदालत मातहत का यह दायित्व था कि वे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य हुये परस्पर विभाजन के क्रम में भौतिक सत्यापन कर काश्तकारों को समझाकर स्वीकृति जारी करनी चाहिये थी जो जारी नहीं कर तथ्य व विधि की भूल की है। भूमि खसरा नंबर 1180 कुल रकबा 5.24 सरहद मौजा ढाणी कणिका के विभाजन के दौरान मौके व प्रस्तावित नक्शे और रकबा में मिलान नहीं किया गया। खसरा नंबर 1180 का विभाजन के दौरान 1180/2 का रकबा 2.2850 हैक्टहर किया गया जब कि वास्तव में 21850 हैक्टर किया जाना था। साथ ही [illegible] भूमि 0.0.550 हैक्टहर होनी थी जो 0.0300 हैक्टर कर हदी गई। खसरा नंबर 1180 का [illegible] व जमाबंदी के रकबे के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर

मिलान नहीं हो रहा है। खसरा नंबर 869 सरहद मौजा गुढा गौड़जी का विभाजन किया उसमें भी रास्ते का क्षेत्रफल 0.03 हैक्टर किया गया जबकि उसका वास्तविक क्षेत्रफल 0.05 हैक्टर होना चाहिये। किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता कायम नहीं की गई। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित परस्पर विभाजन आदेश क्रमांक 5 दिनांक 08.02.20213को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जमीन का विभाजन भौतिक कब्जे की जाचं कर रास्तों की व्यवस्था कर पुनः विभाजन किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— प्रशासन गांवों के संग अभियान सन 2013 के दौरान अपीलांट व रेहस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत तहसीलदार भू0अ0 उदयपुरवाटी के समक्ष धारा 53 (2) (1) आरटी एक्ट 1955 के तहत जमीन हाल खसरा नंबर 1177, 1178, 1179, 1180, 1217, 1235 कुल किता 6 कुल तादादी 7.45 हैक्टर सरहद मौजा ढाणी कणिका एवं खसरा नंबर 839, 869 कुल किता 2 कुल तादादी 3.67 हैक्टर सरहद मौजा गुढागोड़जी, तहसील के बाबत विभाजन का अनुबंध पत्र पेश किया, जो अदालत मातहत ने आदेश क्रमांक 5 दिनांक 8.02.2013 के द्वारा विभाजन स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये। अपीलांट अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0 धारा धारा 53 (2) (1) आरटी एक्ट 1955 को भूमि अधिकारी की हैसियत [illegible] की है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक तथा अदालत [illegible] (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 की पालना किये बिना ही विभा[illegible] व विधि की भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के भौतिक कब्जे की जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच नहीं की गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा, खसरा नंबर इत्यादि से वाकिफ नहीं है। विभाजन प्रार्थना पत्र में परस्पर जो विभाजन का ब्यौरा उल्लेखित किया गया है वह पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से बिना भौतिक कब्जे की जांच किये दर्ज किया गया है। रास्ते के प्रावधान को नजर अंदाज कर अदालत मातहत ने परस्पर विभाजन को स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। जमीन खसरा नंबर 1180 सरहद मौजा ढाणी कणिका व जमीन खसरा नंबर 869 सरहद मौजा गुढा गोड़जी में क्रमशः 0.03 हैक्टर व 0.03 हैक्टर कुल 0.06 हैक्टर की किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय दर्ज कर दी गई, जब कि उक्त जमीन परस्पर विभाजन प्रार्थना पत्र में रास्ते के उपयोग के लिये छोड़ी गई थी। कुये तक रास्ता प्रस्तावित था, परन्तु रास्ते की किस्म रास्ता भी नहीं रखी गई व नक्शे में तरमीम करते वक्त उसे कम कर दिया गया। अदालत मातहत का यह दायित्व था कि वे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य हुये परस्पर विभाजन के क्रम में भौतिक सत्यापन कर काश्तकारों को समझाकर स्वीकृति जारी करनी चाहिये थी जो जारी नहीं कर तथ्य व विधि की भूल की है। भूमि खसरा नंबर 1180 कुल रकबा 5.24 सरहद मौजा ढाणी कणिका के विभाजन के दौरान मौके व प्रस्तावित नक्शे और रकबा में मिलान नहीं किया गया। खसरा नंबर 1180 का विभाजन के दौरान 1180/2 का रकबा 2.2850 हैक्टहर किया गया जब कि वास्तव में 21850 हैक्टर किया जाना था। साथ ही रास्ते हेतु भूमि 0.0.550 हैक्टहर होनी थी जो 0.0300 हैक्टर कर हदी गई। खसरा नंबर 1180 का नक्शे व जमाबंदी के रकबे के मुताबिक मिलान नहीं हो रहा है। खसरा नंबर 869 सरहद मौजा गुढा गौड़जी का विभाजन किया उसमें भी रास्ते का क्षेत्रफल 0.03 हैक्टर किया गया जबकि उसका वास्तविक क्षेत्रफल 0.05 हैक्टर होना चाहिये। किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता कायम नहीं की गई। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित परस्पर विभाजन आदेश क्रमांक 5 दिनांक [illegible] को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य जमीन का विभाजन भौतिक कब्जे की [illegible] कर रास्तों की व्यवस्था कर पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

विभाजन किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांट आरआरडी 1978 चेयरमैन बनाम इस्लाम खान पेज 11 एवं आर.आर.डी 1978 भीष्म सिंह बनाम पताप, आर.आर. डी 1992 रामकुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेज 17 पेश किये गये।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सहमति से भौतिक कब्जे के आधार पर खाता विभाजन किया गया है। अगर समझौता कपटपूर्ण नहीं तो सहमति से प्रस्ताव की अपील लाई नहीं करती है। अपीलांट ने अपील में आधारहीन व झूठे मनगढंत तथ्य अंकित किये हैं। अपीलांट पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपीलांट लिछमणराम भारीतय सेना से सेवानिवृत है व पेंशन प्राप्त कर रहा है। अपीलांट का पुत्र पटवारी की नौकरी करता है। अपीलांट के हिस्से में जमीन भी रेस्पोडेंन्ट के हिस्से से ज्यादा है। रेस्पोडेन्ट ज्ञानाराम अशिक्षित है व हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता है। धारा 96 (3) सीपीसी स्पष्ट प्रावधान है कि राजनीनामा व समझौते के तहत पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील लाई नहीं करती। अपीलांट ने विभाजन के बाद तहसीलदार उदयपुरवाटी से अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया था। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत The Rajasthan Tenancy act 1955 Sec. 53, The Rajasthan Tenancy (Board OF Revenue) Rules 18 To 20, 2015 (1) RLW RJ (H,C) 183 '2012 RBJ (HC) 80, 2018 (1) RLW (RJ) 659, 1998 (1) RLW (HC) 23, 2014 RLW (1) RJ 465, 2017 RBJ 693, 2017 RBJ 536 2017 RBJ 122 पेश किये गये।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । विभाजन अनुबंध पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील एवं दौराने बहस जो तर्क दिये गये हैं, वे तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते। अपीलांटा पढ़ा लिखा है, भारतीय सेना से सेवानिवृत है। अपीलांट का पुत्र पटवारी है। राजीनामा के आधार पर अनुबंध पत्र पर इनके हस्ताक्षर हैं। विभाजन प्रस्ताव में में अपीलांट के ही हिस्से में भूमि भी ज्यादा है। इसके विपरीत रेस्पोंडेट अनपढ व्यक्ति है जिसकी विभाजन प्रस्ताव पर अंगूठा निशानी है। सहमति से विभाजन वर्ष 2013 में हुआ है, उसके बाद अपीलांट द्वारा भूमि की [illegible] [illegible] करवाई गई । विधिक प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

के अनुसार राजीमान के आधार पर पारित डिक्री/विभाजन के विरूद्ध अपील लाई नहीं करती। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण में लागू नहीं होते। विभाजन प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण नहीं है। आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार पक्षकारों के मध्य राजीनामा वाद की विषय वस्तु से परे भी जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू होते हैं। हस्तगत प्रकरण में सहमति से विभाजन हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का विभाजन प्रस्ताव कमांक 5 दिनांक 8.02.2013 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.05 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested